

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/4051

जबलपुर, दिनांक 14 / 10 / 20

श्री मुकेश बिरहा, कोर्ट अटेन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 25.02.2020 से 01.03.2020 तक 6 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है एवं दिनांक 02.03.2020 से 30.04.2020 तक 60 दिवस, माह मई में 2, 28, 29 एवं 30 मई कुल 4 दिवस एवं दिनांक 01.06.2020 से 29.06.2020 तक 29 दिवस कुल योग 93 दिवस बिना पूर्व सूचना एवं स्वीकृति के अनुपस्थित रहने के कारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक D/4052/

जबलपुर, दिनांक 14 / 10 / 20

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुरस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री मुकेश बिरहा, कोर्ट अटेन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(किशोर पिठवे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

12.10.2020